न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 250/2018
आरसीएमएस नं0 2018/00372
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

मामराज पुत्र गोपाल दरोगा निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. भीमसिंह
2. सीताकंवर

पि0 हिम्मतसिह जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 6 चक 13 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
– रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.06.2018
द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर,
प0 सं0 75/2014 अनवान मीरा बनाम मामराज
श्री हरीसिंह स्याग अधिवक्ता अपीलाण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांकः– 8.9.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट की माता मीरा ने एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 212 में प्रस्तुत किया जिसमें कथन कियाकि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर में कुल 12.9030 है0 भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी जद्दी जायदाद है जो अपलाण्ट ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन् 1968 में अकेले अपने नाम से दर्ज करवाली तथा उक्त भूमिं रेस्पो0 की माता ने अपना 1/4 हक व हिस्सा की घोषणा चाही तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। इस बीच रेस्पेडेण्ट की माता मीरा का स्वर्गवास हो गया। जिसकी जगह कायम मुकाम रेस्पोडेण्ट दर्ज किये जाकर पत्रावी संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने हेतु मुकर्रर थी लेकिन विचारण न्यायालय ने इस बीच राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं आया, इसलिए अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि मातहत अदालत का निर्णय खिलाफ कानून होने कारण व गुणावगुण के आधार नहीं होने कारण खारिज योग्य है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं वह प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सुन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्राकृतिक न्याय के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में हैं। एक खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 11.06.2018 को पत्रावली संशोधित शिर्षक पेश करने हेतु मुकर्रर थी तथा इस दिन राजस्व अभियान लोक अदालत गांव सिरंगसर में लगा था लेकिन वकील अपीलाण्ट को बिना सुने ही यह निर्णय पारित कर दिया जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र भी खारिज किया जावे।

3. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट्स माता मीरा ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया जो राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में स्वीकार किया गया है। अपील में रेस्पोडेण्ट उपस्थित नहीं आया, इसलिए अपीलांट के तथ्यों कोई विरोध नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ग्राम सिरंगसर तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2070–73 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसमें प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट मामराज अकेले के नाम दर्ज है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का एक खातेदार कातकार है एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। रिकार्डेड खातेदार होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुल एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पक्ष में हैं। उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अपील में किसी के द्वारा विरोध भी नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2018 निरस्त किया जाता है साथ ही प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.9.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

8/9/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़